

an>

Title: Demand to exempt the religious places from GST.

श्री खण्डीत सिंह (तुष्णियाना) : रपीकर मैडम, मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ कि इस झम्पॉर्टेट इश्यु पर आपने बोलने का मुझे टाइम दिया है। जैसे आप जानते हैं कि जीएसटी छमने ही पार्लियामेंट में पास किया है। जीएसटी वहां लगता है, जहां विजनस हो और प्रॉफिट हो। लेकिन जहां रिलीजियस एविटपिटीज़ होती हैं, चाहे मैं गुरुदारों की बात करूँ, मंदिर की करूँ, मरिजल या चर्च की बात करूँ तो वहां पर अब कोई तंगर तगता है या वहां पर कोई पूशाद मिलता है तो उसमें कोई प्रॉफिट तो है नहीं, कोई पैसा तो कमाना नहीं है। इसलिए यह बहुत बड़ी चिंता की बात है। छमारे मुख्य मंत्री जी भी आ कर जेटली साफब से गिरे। जीएसटी कांसिल के सामने यह बात रखनी चाहिए।

अगर मैं अफेले दखार साफब की बात करूँ तो ये एक लाख आदमी दखार साफब में आता है। अब छम एक साल के पैसे का नुकसान निनें तो तकरीबन दस करोड़ रुपये, एक गुरुद्वारे से जीएसटी में चला जाएगा। मैडम, यह बहुत बड़ी चिंता का विषय है। छमें एक्रोंस टी पार्टी यह बात करनी चाहिए कि जो भी रिलीजियस प्लॉसिस हैं, वाहे दखार साफब की बात मैं गेन कर रहा हूँ, जबको समर्थन करना चाहिए कि धार्मिक जगहों पर जीएसटी नहीं लगानी चाहिए, वर्तोंकि वहां पर कोई विजनस की बात नहीं है, कोई प्रॉफिट की बात नहीं है। लोग अपनी कमाई, छमारे धर्म में दोसांझ हैं कि अपने प्रॉफिट का 10% जो है, उसका वहां पर माथा टेका जाता है। इसके लिए मैं आपसे विनती कर रहा हूँ। वैसे भी अब मैं बात करूँ तो यह कहीं गॉड सर्विस टैक्स न बन जाए तो मैडम भगवान भी ऊपर देखा रहा है, वह भी छमे सजा देगा कि यह जीएसटी छमारे घरों पर भी लगा दी। मैडम, जेटली से जेटली भगवान को ही सुश रखने के लिए छम जीएसटी वहां पर माफ करें। ₹₹/ * अब यह भी चला गया तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री राजीव सातव को श्री खण्डीत सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबंध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।